जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा
अति अल्पकालीन निविदा

विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक– (N) 398 दिनांक– 28.04.2020 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत् आम बागवानी हेतु जामताड़ा जिला के सभी प्रखंडों में निम्न सामग्री का क्रय हेतु इच्छुक निविदादाताओं से मुहरबंद अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

Sl.No.	Name of Material
1	**'250 micron thick UV stabilized black polythene sheet'** for lining each 'Jalkund' to ensure 'zero' percolation loss (@ 6 kgs. Required for each Jalkund)

निविदा की शर्त्तें :–

1. निविदा द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelope system) के अनुसार डाली जायेगी।
2. निविदादाता लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में **''तकनीकी बीड''** लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट सहित) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उसमें अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
3. दूसरे लिफाफा पर साफ–साफ शब्दों में **''वित्तीय बीड''** अंकित करेंगे। उस लिफाफे में अपने फर्म के नाम से छपे हुए पैड पर उक्त सामग्री का दर अंकित कर मुहरबंद करेंगे।
4. निविदादाता को **'तकनीकी बीड'** के लिफाफे में GST निबंधन/ GST Return अद्यतन/अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता/निर्माता होने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड तथा विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) आदि का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त –सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, जामताड़ा के नाम से जमा करना होगा। जिस निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदादाताओं/ उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सर्वप्रथम तकनीकी बीड खोला जायेगा। जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जायेगा, उन्ही का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
7. निविदादाता को काली सूची में नहीं डाला गया है, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
8. निविदा के समय नमूना साथ में लाना अनिवार्य है।
9. जिनका दर न्यूनतम होगा उन्हें कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। एक से अधिक निविदादाताओं का दर न्यूनतम होने पर उनके बीच समानुपातिक रूप से कार्य का वितरण किया जा सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यादेश की तिथि से एक सप्ताह के अंदर निर्दिष्ट स्थल पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
10. यदि निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सफल निविदादाता द्वारा ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं किया जाता है तो जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही स्वीकृत दर पर ही अन्य निविदादाता से कार्य कराया जायेगा।
11. जिन निविदादाताओं का निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा उनका अग्रधन के रूप में जमा ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
12. अधूरे एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. स्वीकृत निविदादाता को संबंधित पंचायतों में सामग्री की आपूर्ति नमूना के अनुरूप करना होगा साथ ही कार्यस्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु परिवहन एवं हथालन व्यय आदि राशि देय नहीं होगा।
14. आपूर्तिकर्त्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त करके ही पंचायत में जमा करेंगे।
15. निविदा अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्यादेश निर्गत करने एवं निविदा को पूर्णतः स्वीकृत, अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. आपूर्तिकर्त्ता कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं ऐसे स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
17. निविदा दिनांक–12/03/21 के अपराह्न 02:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, जामताड़ा में प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे निविदादाता या प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

ह०/-
उप विकास आयुक्त –सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जामताड़ा

ज्ञापांक– 274 / दिनांक– 02.03.2021

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निविदा दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जामताड़ा जिले के वेबसाईट jamtara.nic.in पर उक्त निविदा की विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

02/03/21

उप विकास आयुक्त –सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जामताड़ा